न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/01/2025	2025/241	03.12.2025	17.03.2026

1. कालूराम सैनी पुत्र श्री गबदू सैनी जाति माली, निवासी ग्राम बुरेखुर्द, तहसील रैणी, जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. चिरंजीलाल सैनी पुत्र श्री गबदू सैनी जाति माली, निवासी ग्राम बुरेखुर्द, तहसील रैणी, जिला अलवर राज0।
2. छोटेलाल पुत्र श्री गबदू सैनी जाति माली, निवासी ग्राम बुरेखुर्द, तहसील रैणी, जिला अलवर राज0।
3. तहसीलदार रैणी, जिला अलवर राज0।

——रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध विभाजन आदेश तहसीलदार रैणी दिनांक 13.11.2021, बाबत् आराजी खसरा नं. 303 रकबा 0.47 है0, 331 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम बुरेखुर्द तहसील रैणी, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—

01.श्री विजय कुमार शर्मा —वकील अपीलाण्ट

02.श्री लाखन सिंह —वकील रेस्पोडेंट्स

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील, अपीलांट द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार रैणी, जिला अलवर राज0 द्वारा पारित सहमति विभाजन/बंटवारा आदेश दिनांक 13.11.2021 से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की विस्तृत बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, अलवर के यहां एक दावा दिनांक 05.10.2020 को अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम बाबत् तकसीम आराजी व हुक्म इम्तनाई दवामी का आराजी हाल खाता संख्या 17 आराजी खसरा नंबर 330 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 331 रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल किता 2 कुला रकबा 1.22 हैक्टेयर वाके ग्राम बुरेखुर्द तहसील रैणी व जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेण्ट्स उक्त आराजी को विधिवत तकसीम होने तक आराजी के किसी विशिष्ट भाग को दीगर शख्स व संस्था का किसी प्रकार से मुन्तकिल व मुन्तकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध न करें न कराये ना ही वादी/अपीलाण्ट को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करते हुए कोई निर्माण कार्य ना करें ना ही वादी/अपीलाण्ट को उसके हिस्से अनुसार कब्जे काश्त अर्थात् उपयोग—उपभोग फसल बोने काटने समेटन में बाधा उत्पन्न करें एवं उक्त आराजी की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्यायालय द्वारा उक्त मुकदमे में पेशी दिनांक 11.11.2021 को उक्त प्रकरण दिनांक 13.11.2021 को कैम्प कोर्ट राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत राजपुर छोटा में लगा दिया गया जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी ना ही अपीलाण्ट को इसका कोई नोटिस प्राप्त हुआ। दिनांक 13.11.2021 को उक्त मुकदमे की पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत अपीलाण्ट के दावे को यह लिखते हुए ड्रॉप कर दिया कि वादी उक्त मुकदमे को आगे चलाना नहीं चाहता, जबकि वादी/अपीलाण्ट उस दिन कैम्प में ही मौजूद ही नहीं था ना ही मुकदमे को आगे नहीं चलाने बाबत् अपीलाण्ट द्वारा कोई प्रार्थना–पत्र कैम्प कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन अदालत मातहत ने गलत तरीके से मेरे खिलाफ निर्णय किया है जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत को उक्त प्रकरण का फैसला पक्षकारों की साक्ष्य लेकर मैरिट पर करना चाहिए था।

अपीलाण्ट दिनांक 13.11.2021 को कैम्प कोर्ट राजपुर छोटा में उपस्थित नहीं हुआ ना ही उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाने बाबत् कोई प्रार्थना–पत्र पेश किया, ना ही किसी प्रकार की सहमति अपीलाण्ट द्वारा कैम्प कोर्ट में दी गई ना ही पत्रावली में अपीलाण्ट द्वारा कोई निशानी अंगूठा लगाया गया फिर भी गैर कानूनी तरीके से मेरे विरूद्ध कैम्प कोर्ट में पीठासीन अधिकारी ने फैसला कर दिया। तहसीलदार रैणी ने दिनांक 13.11.2021 को अपीलाण्ट की सहमति के बिना मेरी अनुपस्थिति में उक्त प्रकरण में विवादित आराजी का बंटवारा कर दिया गया जो खिलाफ कानून है जिसका निर्णय अदालत मातहत को पक्षकरान की साक्ष्य लेकर करना चाहिये था लेकिन कैम्प कोर्ट के कर्मचारियों व रेस्पो0 नंबर 1 व 2 की मिलीभगत से यह बंटवारा रेस्पो0 नंबर 1 व 2 ने अपनी इच्छानुसार करा लिया जो गलत है। यह अपील काबिले खारिज है।

इस बंटवारानामा के आधार पर रेस्पोडेण्ट्स अपनी सुविधानुसार अपना हिस्सा पास–पास करा लिया, जबकि मेरे क्षेत्र में हिस्से दूर–दूर कर दिये गये, जिससे उनके द्वारा मेरे फसल बोने लाने ले जाने में व्यावधान पैदा किया जिससे मुझे ताजिन्दगी नाजायज तौर पर परेशान किया जा सके। रेस्पो0 ने मेरे हिस्से में आई आराजी पर कच्चे मकान व पाटोल डालकर कब्जा कर रखा है और वहां गलत तरीके से कुंआ दिखाकर शामलाती बताकर 331/4 शामलाती में बंटवारा करा लिया, जो गलत व गैर कानूनी है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने इस तरह के बंटवारे को लेकर कभी भी रेस्पो0 को व न्यायालय में सहमति नहीं दी। इसलिए तहसीलदार रैणी द्वारा किया गया बंटवारा खारिज योग्य है।

अपीलाण्ट उम्रदराज अस्सी साल का वृद्ध व्यक्ति है जो अंगूठा छाप बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है तथा दोनों रेस्पो0 चतुर व चालाक व्यक्ति है तथा दोनों का परिवार काफी बड़ा है जो हमेशा उसको धमकी देते रहते है और समस्त आराजी पर कब्जा करने व बेचने की धमकी देते है। अपीलाण्ट को अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 13.11.2021 की पहले कोई जानकारी नहीं थी न ही अपीलाण्ट कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुआ और न ही मुझे कोई सूचना दी गई और जानकारी होने पर आदेश दिनांक 13.11.2021 की नकल लेने हेतु दिनांक 02.02.2023 को प्रार्थना–पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 03.02.2023 को प्राप्त हुई। इसलिए यह अपील आज बिना किसी देरी के पेश की जा रही है जिसके लिए दरख्वास्त जेर दफा 05 कानून मियाद मय हलफनामा अलहदा से पेश है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय आदेश तहसीलदार रैणी दिनांक 13.11.2021 द्वारा विधि विरूद्ध अपीलाण्ट के खिलाफ बंटवारा किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे व तहसीलदार को आदेश दिया जावे कि वह विवादित आराजी खसरा नंबर 330 रकबा 0.47 है0 व 331 रकबा 0.75 है0 का बंटवारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी के निर्णय तक न करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि अपीलाण्ट ने समस्त तथ्य गलत प्रकार से अंकित किये है। रेस्पोडेन्ट ने ना तो अपीलाण्ट को धमकी दी और ना ही कभी आराजी को बेचने बाबत कब्जा करने बाबत कथन किया, अपीलाण्ट का यह कथन भी गलत है कि उसे अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 13.11.2021 की कोई जानकारी नही हो और उसे कैम्प कोर्ट की कोई सूचना ना हो अपीलाण्ट को निर्णय दिनांक 13.11.2021 की प्रारम्भ से ही जानकारी है। अपीलाण्ट ने दिनांक 13.11.2021 को कैम्प कोर्ट मे अपना दावा स्वेच्छा से विड्रा किया तथा तहसीलदार के समक्ष प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 मे बॅटवारे बाबत सहमति से विभाजन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर मॉगीलाल व रामस्वरुप दो गवाहों ने अपने हस्ताक्षर किये तथा स्वंय अपीलाण्ट कालूराम ने अपना अंगूठा निशानी किया जिस पर हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरिक्षक ने अपने हस्ताक्षर किये तत्पश्चात तहसीलदार रैणी द्वारा विभाजन किये जाने के आदेश पक्षकारो की सहमति के आधार पर पारित किये है। उसी दिन खसरा 333 जिसमें रेस्पोडेन्ट के अलावा कालूराम की पत्नी धप्पो देवी खातेदार काश्तकार का भी विभाजन प्रशासन गाँव के संघ अभियान मे किया गया था। जिस प्रार्थना पत्र पर भी दो गवाह व स्वंय कालूराम व धप्पो देवी के अंगुठा निशानी मौजूद है। जिस बँटवारेनामा बाबत धप्पो देवी ने व अपीलाण्ट कालूराम ने आज तक कहीं भी कोई आपत्ति नहीं की। धप्पो देवी के प्रार्थना पत्र पर कालूराम स्वंय ने अंगुठा निशानी की है उस का कभी एतराज नही किया। जिससे यह साबित है कि अपीलाण्ट कालूराम दिनांक 13.11.2021 को कैम्प कोर्ट में उपस्थित था इस प्रकार अपीलाण्ट को उकत निर्णय की प्रारम्भ से ही जानकारी साबित होती है। अपीलाण्ट ने दफा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलाण्ट की अपील मयाद बाहर होने से प्रार्थना पत्र दफा 5 व अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त निर्णय दिनांक 13.11.2021 के पश्चात इन्तकाल 547 दिनांक 18.05.2022 को स्वीकृत किया गया है और अपीलाण्ट व मिन रेस्पोडेन्ट बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। कैम्प में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी व भू अभिलेख निरिक्षक तथा गाँव के अन्य काश्तकारान मौजूद थे उनके समक्ष ही अभियान मे विभाजन स्वीकार किया गया है। जो लोक अदालत की भावना से मौके पर ही किया गया था। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील व प्रार्थना पत्र मैन्टेनेबल नहीं है। अतः अपीलकर्ता की अपील को हर्जाने और लागत सहित खारिज की जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों का गहनता से श्रवण एवं मनन किया। अपीलांट का मुख्य तर्क है कि वह दिनांक 13.11.2021 को 'प्रशासन गांवों के संग अभियान' के कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं था और उसने तकसीम/विभाजन पर कोई सहमति नहीं दी। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत सहमति पत्र पर अपीलांट कालूराम की अंगूठा निशानी मौजूद है। इसके अतिरिक्त, दो स्वतंत्र गवाहों मांगीलाल व रामस्वरूप के हस्ताक्षर तथा हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक का प्रमाणीकरण भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उपलब्ध है। सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्य को तब तक असत्य नहीं माना जा सकता, जब तक कि धोखाधड़ी का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत न किया जाए। अपीलांट ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत करने में पूर्णतः विफल रहा है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स ने न्यायालय के संज्ञान में लाया कि उसी दिन अर्थात् दिनांक 13.11.2021 को कैम्प कोर्ट में खसरा नंबर 333 का भी विभाजन हुआ था, जिसमें अपीलांट की पत्नी धप्पो देवी खातेदार थीं। उस प्रार्थना–पत्र पर भी अपीलांट कालूराम और उसकी पत्नी के अंगूठा निशानी मौजूद हैं। अपीलांट द्वारा इस दूसरे बंटवारे को आज तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। यह तथ्य इस बात को अकाट्य रूप से प्रमाणित करता है कि अपीलांट दिनांक 13.11.2021 को कैम्प कोर्ट में न केवल उपस्थित था, बल्कि संपूर्ण कार्यवाही उसकी जानकारी और सहमति से संपन्न हुई थी। दिनांक 18.05.2022 को इस बंटवारे के आधार पर इंतकाल संख्या 547 भी स्वीकृत हो चुका है और पक्षकार अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। जब अपीलांट उसी दिन कैम्प कोर्ट में उपस्थित था, तो आदेश की जानकारी न होने का तर्क कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है।

कानूनी प्रावधानों के अनुसार, लोक अदालत की भावना से या पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर पारित किए गए आदेशों के विरुद्ध सामान्यतः अपील पोषणीय नहीं होती है। चूंकि, अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पक्षकारों की रजामंदी और 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान, 2021 के तहत मौके पर ही सुनाया था, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पूर्णतः तथ्यहीन, आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा तहसीलदार रैणी, जिला अलवर द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 13.11.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर